जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ दिनॉक 10.04.2024

थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोवर्धनपुर नाबका निवासी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2024 को समय करीब 15.10 बजे मुस्तकीम मलिक, ग्राम प्रधान गोवर्धनपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर सूचना दी कि गजेन्द्र सिंह पुत्र आनन्द सिंह नि0 ग्राम गोवर्धनपुर नाबका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया है जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहॅुची तथा मृतक के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेजा गया।

प्रारंम्भिक जानकारी में यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक गजेन्द्र ने जिला सहकारी बैंक व प्रथमा विद्युत ग्रामीण बैंक से करीब साढे पांच लाख रूपये का ऋण लिया हुआ था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बैंक कर्मियों द्वारा कर्ज चुकाने के लिये गजेन्द्र सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण गजेन्द्र उपरोक्त ने मानसिक तनाव में आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा लगाये गये आरोपो की गहनता से जांच की जा रही है। जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनांक – 10.04.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0स0 186/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.04.2024 को वादी श्री गुड्डू पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 09.04.2024 को अभियुक्तों 1.रमेश पुत्र बीजा 2. सुरज पुत्र रमेश नि0गण ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने वादी व वादी के भाई के साथ गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे वादी को गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.04.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 186/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तों 1. रमेश पुत्र बीजा 2. सुरज पुत्र रमेश नि0गण ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. रमेश पुत्र बीजा नि0 ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. सुरज पुत्र रमेश नि0 ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. का0 689 गौरव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 10.04.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	राजू पुत्र शौनाथ सिंह नि0 ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	धामपुर	सुरेन्द्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह नि0 ग्राम भज्जावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3	धामपुर	सत्यवीर पुत्र स्व0 ध्यान स्वरुप नि0 ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4	धामपुर	कुलवीर सिहं पुत्र शोभा सिहं नि0 ग्राम उमरपुर बांगर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	चांदपुर	शमशाद पुत्र साबिर नि0 ग्राम काजी जागदान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6	नजीबाबाद	नवाब पुत्र भूरा नि0 मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा

थाना धामपुर

थाना चांदपुर

थाना नजीबाबाद

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 10.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 178/24 धारा 379/411 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को चोरी गये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.04.2024 को वादी श्री रोबिन आनन्द पुत्र स्व0 सोमनाथ आनन्द नि0 पारसलोक कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी वादी के मकान के पास खाली प्लाट से चार पैडी का लौहे का जीने को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 178/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.नफीस पुत्र रहीश निवासी ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2.नाजिम पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 हरिजन बस्ती जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 178/24 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.नफीस पुत्र रहीश निवासी ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2.नाजिम पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 हरिजन बस्ती जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी गये लोहे का 04 पैडी का जीना सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.नफीस पुत्र रहीश निवासी ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.नाजिम पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 हरिजन बस्ती जलालाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– एक लोहे का 04 पैडी का जीना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह नागर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2– हे0का0 105 सोमपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3– का0 1775 विजय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।